

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:- मुख्य प्रति / २०१७ / ५८

आदेश

दिनांक:- ३१८/१७

आवासीय अभियन्ता, खण्ड-उदयपुर, के अधीन दक्षिण विस्तार योजना, उदयपुर आवासीय योजना के निम्नलिखित आवासों का अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-द्वितीय, जोधपुर के प्रस्तावानुसार एवं संचालक मण्डल की २२९वीं बैठक दिनांक २७.०१.२०१६ के बिन्दु संख्या २२९.२१ में लिये गये निर्णयानुसार नीलामी के माध्यम से निस्तारण किए जाने की स्वीकृति नियमानुसार एतद् द्वारा प्रदान की जाती है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आय वर्ग	मकान संख्या	कुल
1	MIG-A	B-180, B-183, B-189, B-192, B-195,	5
1	MIG-B	C-184	1
2	HIG	C-189	1
		Total	7

नीलामी योग्य आवासों के निस्तारण से पूर्व निम्न शर्तों की पालना सुनिश्चित करें:-

1. आवासीय योजना में आवास/भूखण्ड आवंटन हेतु कोई भी पंजीकृत आवेदक सहित, ऐसे आवेदन भी जिनकी याचिका पर माननीय न्यायालय द्वारा अन्तरिम/अन्तिम आदेशों के जरिये याची को आवास आवृत्ति करने के निर्देश प्रदत्त किए हुए हो, लम्बित नहीं हैं।
2. आवासीय योजना में नीलामी योग्य सभी आवास आवासीय भूखण्डों की अनुमति प्राप्त करने संबंधि इकजाई प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाकर, इस तथ्य को प्रमाणन भी किया जावे कि उस योजना में नीलामी योग्य अन्य आवासीय संपदा उपलब्ध नहीं है। सक्षम स्वीकृति के उपरान्त, न्यूनतम बिड मूल्य निर्धारण हेतु मण्डल के आदेशांक राजस्व / ११/२०१४-१५/३७ दिनांक १७.०६.२०१४ द्वारा जारी निर्देशों की पालना की जावे।
3. आवास/फ्लेट/आवासीय भूखण्डों का निस्तारण उचित प्रचार-प्रसार के माध्यम से किया जावे।
4. नीलामी हेतु प्रस्तावित आवास/फ्लेट/आवासीय भूखण्डों के संबंध में किसी प्रकार का कोई विवाद अथवा न्यायिक वाद विचाराधीन नहीं है। निस्तारण हेतु प्रस्तावित आवासों बाबत किसी भी न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष इनमें से कोई भी आवास किसी प्रकार से आरक्षित रखने बाबत कोई आश्वासन/शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है।
5. आवास/फ्लेट/आवासीय भूखण्डों के न्यूनतम बिड मूल्य के प्रस्तावों के साथ समकक्ष आवास/भूखण्ड की पूर्व में स्वीकृति/अर्थीकृत बिड की सूचना भी प्रस्तुत की जावे।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


मुख्य सम्पदा प्रबन्धक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त महो. राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव-सचिव/वित्तीय सलाहकार/निदेशक विधि, रा०आ०म०, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)/प्रथम/द्वितीय/तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-द्वितीय, रा० आ० मा०, जोधपुर।
5. अति० निजी सचिव-मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा०आ०म० जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, वृत्त -उदयपुर, रा०आ०म० उदयपुर।
7. आवासीय अभियन्ता, खण्ड उदयपुर, रा०आ०म०, उदयपुर।
8. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), रा.आ.म., जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाइट पर डिलवायें व सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
9. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु०), रा०आ०म०, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।


मुख्य सम्पदा प्रबन्धक